Number of Admission under Rule- 134-A

616 **SH. SHAMSHER SINGH GOGI, M.L.A**

SH. BALRAJ KUNDU, M.L.A

NEERAJ SHARMA, M.L.A

JGABIR SINGH MALIK, M.L.A: Will the Education Minister be pleased to state:-

a) the number of students applied for admission in schools of State for the current academic year under Rule 134-A of the Haryana School Education Rules;

b) the number of students who got admission out of the abovesaid students;

c) the steps taken by the Govt. for the admission of remaining students who did not get admission in the current academic year;

d) the action taken by the Government against the schools Education Institutions declining the admission to the abovesaid poor students under Rule 134-A ?

REPLY
SH. KANWAR PAL, EDUCATION MINISTER, HARYANA

a) Sir, total no. of students who applied for admission under Rule 134-A during the current academic year are 66,327. After scrutining and screening test, 36,167 students from recognized private schools and 11298 students from Govt. schools were found eligible for admissions. Out of these students, 45289 choose various recognized private schools for admission.

b) Out of 45289 students, 21000 students got admission in various selected recognized private schools.

C & d) The Government extended the time limit thrice from 15.12.2021 to 18.02.2022 and directed DEEOs to ensure admission of the eligible students in recognized private schools. The Government issued 'Show Cause Notice' to the defaulting recognized private schools but due to directions of Hon'ble High Court in CWP No. 22164 of 2021, no coercive action could be initiated against defaulting recognized private schools.

नियम 134–ए के अंतर्गत दाखिले की संख्या

616. श्री शमशेर सिंह गोगी, एम.एल.एः

श्री बलराज कुण्डू, एम.एल.ए.:

श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए.:

श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए.: क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमों के नियम 134–ए के अंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए राज्य के विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त विद्यार्थियों में से प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) चालू वर्ष में प्रवेश नहीं पाने वाले शेष छात्रों के प्रवेश के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए;

(घ) उपरोक्त निर्धन विद्यार्थियों को नियम 134–ए के अंतर्गत प्रवेश न देने वाले विद्यालय/शिक्षा संस्थानों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

जवाब
श्री कंवर पाल, शिक्षा मंत्री, हरियाणा

(क) श्रीमान जी, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान नियम 134–ए के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले कुल छात्रों की संख्या 66,327 है। स्क्रूटनी और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के 36,167 छात्र और राजकीय विद्यालयों के 11,298 छात्र स्कूलों में प्रवेश के लिए पात्र पाए गए। इन छात्रों में से 45289 छात्रों द्वारा विभिन्न मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का प्रवेश के लिए चयन किया गया।

(ख) 45289 छात्रों में से 21000 छात्रों ने विभिन्न चयनित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश लिया है।

(ग व घ) सरकार द्वारा तीन बार समयावधि को 15.12.2021 से 18.02.2022 तक बढ़ाया गया तथा चयनित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सरकार द्वारा इन चूककर्ता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया था लेकिन माननीय उच्च न्यायालय याचिका नं0 22164 ऑफ 2021 के निर्देशानुसार, इन चूककर्ता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सका।